(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I खण्ड I में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 44 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 19 मार्च, 2021

विषयः मोजम्बिक में उगाए जाने वाले पीजन पीज के आयात के लिए भारत और मौजम्बिक के बीच समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत गणराज्य की सरकार और मौजाम्बिक गणराज्य की सरकार के बीच भारत व्दारा 2 लाख मीट्रिक टन पीजन पीज के आयात के लिए समझौता ज्ञापन बढ़ाए जाने का अनुपालन करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा समझौता ज्ञापन के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए प्रक्रिया/तौर तरीके निर्धारित करते हैं।

2. मोजाम्बिक गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच पीजन पीज के उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में सहयोग पर विस्तारित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत मोजाम्बिक उद्गम के 2,00,000 मीट्रिक टन पीजन पीज का आयात 2021–22 के दौरान करने पर सहमत हुआ है।

3.तदनुसार, राजकोषीय वर्श 2021–22 के दौरान मोजम्बिक से आयात किए जाने वाले 2,00,000 मीट्रिक टन पीजन पीज को निम्नलिखित भार्तो के अधीन आयात की अनुमति दी जाती हैः–

क. आयात केवल निम्नलिखित 5 पत्तनों के रास्ते अनुमत होगाः (i) मुम्बई (ii) तुतीकोरिन (iii) चेन्नई (iv) कोलकाता और (v) हजीरा।

(ख) आयात मोजाम्बिक सरकार द्वारा दिए गए स्टांप युक्त आईसीएम (इंस्टीट्यूटो डी सेरेअसी डी मोकाम्बिक) में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा प्रमाणित 'उद्गम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगा, जिसे उपर्युक्त पत्तनों के संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारियों और सीबीआईसी के साथ साझा किया जा रहा है।

ग. उद्गम प्रमाण–पत्र प्रदान करते समय (जिसमें दालों के निर्यातक आयातक और मात्रा का ब्यौरा शामिल है) नामित प्राधिकारी प्रमाणपत्र की एक स्कैन की हुई प्रति mohapatra.sk@nic.in और shyama.roy@nic.in को भेजेगा।

घ. यहां भारत में आयातक यथोक्त जारी प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति उपर्युक्त ई–मेल पते अर्थात् mohapatra.sk@nic.in और shyama.roy@nic.in पर इस पर अनापति प्रमाणपत्र के साथ डीजीएफटी को मेल भेजेगा। डीजीएफटी इन दोनो दस्तावेजों का मिलान करेगा और आवेदक आयातक को अनापति प्रमाणपत्र देगा जिसके आधार पर सीमा शुल्क खेप की निकासी करेगा।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः मोजाम्बिक से पीजन पीज के 2 लाख मीट्रिक टन के आयात हेतु प्रक्रिया/तौर तरीके को निर्धारित किया गया है।

अमित यादव
19/03/2021
(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एंव
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

[(फा0 सं0 एम–5012/300/2002–पीसी 2(क) (ई–2578)]